

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| 1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ०प्र०। | 4. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2023

विषय:- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के कारण उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण के कारण वायु की गुणवत्ता एवं 'एअर क्वालिटी इन्डेक्स' पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके दृष्टिगत विश्व के कई देशों में प्रदूषण एक्सपोजर प्रबन्धन हेतु रेगुलेटरी प्राविधान किए गए हैं। विदित है कि निर्माण स्थलों के अन्तर्गत खुली मिट्टी के वृहद क्षेत्र स्थित होने के कारण धूल कण हवा में उड़ते हैं, जो पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हैं। अतः निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित वायु प्रदूषण को देखते हुए यह अपरिहार्य है कि निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों व आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु समुचित उपाय किए जाएं। इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु धूल नियंत्रण उपाय स्थल विशेष की स्थलाकृति, भूमि के आवरण, मिट्टी की विशिष्टताएं और वृष्टि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अपनाये जाने आवश्यक हैं। यद्यपि निर्माण कार्यों का वायु की गुणवत्ता एवं जलवायु परिवर्तन पर स्पष्ट हानिकारक प्रभाव है तथापि इन प्रभावों एवं सम्भावित समाधानों को दृष्टिगत रखते हुए शहरी क्षेत्रों में भविष्य में शुद्ध वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ठोस प्रयास किए जाने की अपेक्षा है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किए गए हैं:-

- (1) शासनादेश संख्या-37/2016/207/आठ-1-15-27विविध/14, दिनांक 27.01.2016, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-18(1)बी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने से सम्बन्धित है।
- (2) शासनादेश संख्या-1220/आठ-3-19-23 विविध/2010, दिनांक 04.11.2019, जो रिट याचिका (सी) 13029/1985 एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन किए जाने से सम्बन्धित है।

3- उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में निर्माण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण के प्रभावी निवारण एवं नियन्त्रण हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

3.1 धूल नियन्त्रण हेतु उपाय:

- (1) ऐसे भवन, जिनकी ऊंचाई 70 मी. या अधिक प्रस्तावित है, के निर्माण स्थल/भूखण्ड के चारों ओर 10.5 मी. ऊंचे तथा 70 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों में निर्माण स्थल/भूखण्ड की चारदीवारी के साथ 7.5 मी. ऊंचाई की आड़ (बैरीकेड्स) लगाए जाएं।
- (2) एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के ले-आउट प्लान्स के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण कार्य हेतु स्थल के चारों ओर 10.5 मी. ऊंचाई तथा एक एकड़ से कम क्षेत्रफल के ले-आउट प्लान्स में 7.5 मी. ऊंचाई की आड़ (बैरीकेड्स) लगाए जाएं।
- (3) भवन निर्माण की स्टेज को दृष्टिगत न रखते हुए, निर्माण स्थल को चारों ओर से हरे तिरपाल अथवा जूट की शीट से ढका जाए। यदि निर्माण कार्य के दौरान कोई निर्माणाधीन भवन ढका हुआ नहीं पाया जाता है, तो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, नियत प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को रोकने हेतु कार्यवाही की जाए।
- (4) निर्माण स्थल पर 'स्प्रिंकलर सिस्टम' अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाए और निर्माण के समय नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जाए।
- (5) विद्यमान भवनों के ध्वस्तीकरण के समय भवन संरचना को समुचित रूप से ढकना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि वायु में धूल का प्रसार न होने पाये।
- (6) यह सुनिश्चित किया जाए कि ट्रक/डम्पर/अन्य वाहनों की ओवरलोडिंग न हो, ताकि उनके आवागमन के समय रास्ते में धूल/मिट्टी/मलबा/निर्माण सामग्री का बिखराव न हो।
- (7) निर्माण सामग्री को लाने व ले जाने वाले वाहनों के टायरों/बॉडी की भली-भांति सफाई एवं धुलाई की जाए। इसके अतिरिक्त निर्माण स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किए जाएं, जिससे वाहनों की सफाई (पहियों की सफाई एवं धुलाई सहित) की मॉनीटरिंग की जा सके।
- (8) निर्माण सामग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाए और उस पर पानी का छिड़काव किया जाए। इसके अतिरिक्त ढीली मिट्टी के ढेरों को गीली घास (Mulch) से भी ढका जा सकता है।
- (9) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढक कर ले जाया जाए तथा सड़कों के किनारे ऐसी सामग्री को अनियंत्रित रूप से संग्रहीत न किया जाये।
- (10) निर्माण स्थल के आस-पास वनस्पति आवरण (Vegetative cover) को बढ़ाया जाए, ताकि वायु जनित मृदाक्षरण (Wind erosion) से सुरक्षा हो सके। इसके अतिरिक्त वायुरोधक (Windbreaks) यथा-पेड़ों/झाड़ियों की कतार, दीवार या स्क्रीन बनाई जा सकती है, जिससे उस क्षेत्र में वायु की गति धीमी होने से वायु में धूल कणों की मात्रा घटेगी।

3.2 अपशिष्ट न्यूनीकरण:

- (1) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में काफी मात्रा में मलबा उत्सर्जित होता है, जिसे कम करने के लिए विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया को दक्ष बनाया जाना आवश्यक है और ऐसी तकनीकों के उपयोग को वरीयता दी जानी होगी, जो अपशिष्ट के न्यूनीकरण में मददगार हों तथा निर्माण सामग्रियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। अपशिष्ट के न्यूनीकरण

एवं उनके उचित प्रकार से निस्तारण के फलस्वरूप वायु में प्रदूषक तत्वों की मात्रा कम होगी और पर्यावरण में सुधार होगा।

- (2) निर्माण कार्यों में नई सामग्रियों के उपयोग के स्थान पर पूर्व में उपयोग की हुई, बची हुई (Salvaged) सामग्री तथा रीसाइक्लिड सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसी प्रकार निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से निकले मलबे की रीसाइक्लिंग कर उसे नयी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में उपयोग किया जा सकता है।
- (3) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को पुनः प्रयोग किये जाने हेतु स्थल निर्धारित करते हुए प्लान्ट स्थापित किया जाए।
- (4) पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों व उद्यानों से जनित अपशिष्ट को जलाया न जाए अपितु निर्धारित स्थलों पर कम्पोस्ट पिट बनाकर निस्तारित किया जाए।

3.3 पर्यावरण अनुकूल उपकरणों/उत्पाद/सामग्रियों का उपयोग:

- (1) निर्माण कम्पनियों द्वारा पर्यावरण अनुकूल उपकरणों (Low or Zero emission equipment), उत्पाद एवं सामग्रियां, जो निर्माण स्थलों पर अपशिष्ट के न्यूनीकरण एवं ऊर्जा के संरक्षण की दृष्टि से अभिकल्पित हैं, के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- (2) नई निर्माण सामग्रियों के उत्पादन की लागत अधिक होती है और उनके निर्माण में ईंधन की खपत भी अधिक होती है, जिसके कारण "ग्रीन हाउस गैसों" का उत्सर्जन होता है। परन्तु निर्माण कम्पनियां ईंधन की खपत में कमी कर निर्माण सामग्रियों के उत्पादन में निहित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।

3.4 ईंधन की खपत में कमी करना:

निर्माण स्थलों को 'इन्वायरमेन्ट फ्रेंडली' बनाने की दिशा में ईंधन की खपत को कम करना सर्वोत्तम उपाय है। निर्माण एजेन्सियों द्वारा ईंधन की खपत को निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है:-

- (1) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग,
- (2) हाईब्रिड इक्विपमेन्ट, जिसमें ईंधन और विद्युत दोनों का उपयोग होता हो,
- (3) निर्माण कम्पनियों द्वारा यदि हाईब्रिड इक्विपमेन्ट का उपयोग किया जाना सम्भव न हो, तो अपने इक्विपमेन्ट को अधिक फ्यूएल-एफिसिएंट मॉडल में अपग्रेड किया जा सकता है।
- (4) वाहनों के आवागमन की दूरी को कम करना,
- (5) वाहनों के निष्क्रिय समय (Idle time) को कम करना।

3.6 इनर्जी-एफिसिएन्ट बिल्डिंग्स को प्रोत्साहन:

निर्माण गतिविधियों का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव कम करने के लिए "ग्रीन बिल्डिंग्स" के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए, जिनमें पारम्परिक ऊर्जा के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा यथा-सोलर पैनल का उपयोग किया जाए। ग्रीन बिल्डिंग्स के फलस्वरूप धूल एवं प्रदूषण में कमी आने से इन्डोर एयर क्वालिटी की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

3.7 पारिस्थितिकीय संसाधनों का संरक्षण:

किसी भी निर्माण कार्य से सम्बन्धित क्षेत्र एवं उसके आस-पास वन्य जीव-जन्तु, वाटर शेड, तालाब/जलाशय, नैचुरल ड्रेनेज, वुडलैण्ड, वेटलैण्ड, आदि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

3.8 निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूर्ण कराना:

निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी लाकर स्थानीय पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है। किसी परियोजना के निर्माण कार्य जितने अधिक समय तक जारी

रहेंगे, उतना ही ईंधन की खपत अधिक होगी और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी अधिक होगा तथा आस-पास के निवासियों को वायु प्रदूषण, शोर एवं अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतः परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने से एवं उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप परियोजना की दक्षता बढ़ेगी और पर्यावरणीय प्रभाव कम होंगे।

3.9 एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम:

निर्माण गतिविधियों के प्रभावों का आंकलन करने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु किये गए प्रयासों की मॉनीटरिंग के लिए हाई रेज्यूलेशन एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना अति आवश्यक है। सभी निर्माण स्थलों पर एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग इक्विपमेंट स्थापित कराये जाएं। इस हेतु विकासकर्ताओं को एक माह का समय दिया जा सकता है, ताकि वे अपने निर्माण स्थलों पर उपकरणों की व्यवस्था कर सकें।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देश निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र-दोनों की परियोजनाओं के लिए लागू होंगे, जिनका उल्लंघन करने पर शासकीय अभिकरण द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

5- उपर्युक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत अभिकरणों गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़-पिलखुआ, बुलन्दशहर, खुरजा, बागपत-खेकड़ा एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) के क्रियान्वयन के संबंध में शासन के पत्र संख्या-2390(1)/आठ-3-23-31/2021 दिनांक 29.09.2023, पत्र संख्या-2390(2)/आठ-3-23-31/2021 दिनांक 05.10.2023 एवं पत्र संख्या-2576/आठ-3-23-31/2021 दिनांक 27.10.2023 द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
27/10/23
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार)
अनु सचिव।